राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2835/2024

विजय मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य, स्वायत्त शासन विभाग जरिये निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, जयपुर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. कार्यालय मुख्य नगर नियोजक (राज.), जरिये मुख्य नगर नियोजक, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2024
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक नगर नियोजक के पद पर नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक नगर नियोजक के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वायत्त शासन विभाग में हुई थी और आदेश दिनांक 18.10.2021 के द्वारा उसे नगर निगम जयपुर हेरिटेज पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 21.03.2024 के द्वारा उसकी सेवायें स्थायी की गई। अपीलार्थी ने सहायक नगर नियोजक के पद की सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त उपरांत अपीलार्थी ने उक्त पद के लिये आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी सहायक नगर नियोजक के पद पर चयनित हुआ और अपीलार्थी ने नगर निगम जयपुर कार्यालय से कार्यमुक्त होने के लिये दिनांक 03.07.2024 को आवेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा, जिससे अपीलार्थी नवीन चयनित विभाग में कार्यग्रहण नहीं कर सका और प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.07.2024 से 28.08.2024 तक वेतन भी नहीं दिया गया। कार्यमुक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी नवीन चयनित विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण अवधि को आगे बढवाने के लिये अनुरोध कर चुका है। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी ने नियमानुसार विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त उपरांत नवीन सीधी भर्ती में आवेदन किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी पत्र दिनांक 11.07.2024 में यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अंतर्गत जांच लंबित है। इसलिये अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है और आरोप पत्र भी अपीलार्थी को दिनांक 20.06.2024 को दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी का त्याग पत्र स्वीकार कर उसे अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं नोड्यूज आदि जारी किये जाने के आदेश दिये जावें। अपीलार्थी का वेतन दिनांक 12.07.2024 से 28.08.2024 तक का दिया जावे तथा विभागीय जांच भी 15 दिवस के अंदर पूर्ण किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक नगर नियोजक के पद पर नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक नगर नियोजक के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वायत्त शासन विभाग में हुई थी और आदेश दिनांक 18.10.2021 के द्वारा उसे नगर निगम जयपुर हेरिटेज पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने सहायक नगर नियोजक के पद की सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा

आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त उपरांत अपीलार्थी ने उक्त पद के लिये आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी सहायक नगर नियोजक के पद पर चयनित हुआ और अपीलार्थी ने नगर निगम जयपुर कार्यालय से कार्यमुक्त होने के लिये दिनांक 03.07.2024 को आवेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा, जिससे अपीलार्थी नवीन चयनित विभाग में कार्यग्रहण नहीं कर सका और प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.07.2024 से 28.08.2024 तक वेतन भी नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी का तकनीकी त्याग पत्र एवं कार्यमुक्त नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 21.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सहायक नगर नियोजक के पद पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्थायी किया गया है। परंतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी सहायक नगर नियोजक के पद के लिये सीधी भर्ती हेतु आवेदन चाहे गये थे, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा और निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु दिया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त पद के लिये आवेदन किया। इस प्रकार अपीलार्थी ने नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु उक्त पद के लिये आवेदन किया है, जिसमें हमें किसी प्रकार की अपीलार्थी की ओर से त्रुटि प्रकट नहीं होती है और तदुपरान्त अपीलार्थी का नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के पद पर चयन हुआ। तत्पश्चात् चयनोपरांत अपीलार्थी ने दिनांक 13.07.2024 को तकनीकी त्याग पत्र एवं अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र आयुक्त, नगर निगम जयपुर हेरिटेज को प्रस्तुत किया और दिनांक 09.07.2024 को अपीलार्थी ने कार्यमुक्त करने के संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को प्रार्थना पत्र दिया। परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थी को अभी तक न तो उसका त्याग पत्र स्वीकार किया गया और न ही अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया, जबकि उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये लगभग 2 माह से अधिक का समय हो चुका है। जहां तक अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र दिये जाने का प्रश्न है, हमारे मत में सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिया गया आरोप पत्र एक लघु दण्ड की श्रेणी में आता है। इस प्रकार बिना किसी विशेष कारण के अपीलार्थी को नवीन विभाग में चयनित उपरांत कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाना उचित प्रतीत नहीं

होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु उसे अविलम्ब कार्यमुक्त किया जावे और बकाया वेतन का भुगतान आदि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अंतर्गत जारी किया गया आरोप पत्र का अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य